प्रकरण संख्या–57/2018 2018/00082 तारीख रजु–19.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक करौली, तहसील व जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

श्री किरोड़ी माली पुत्र श्री रामप्रकाश माली, शिकारगंज, करौली, तहसील व जिला–करौली – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सीज्ड घरेलू गैस सिलेण्डर दो मय 9.3 व 1.9 किलो गैस को राजसात् करने।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक करौली श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 12.04.2018 तहसील करौली में नगरपरिषद करौली में श्री किरोड़ी माली पुत्र श्री रामप्रकाश माली, शिकारगंज, करौली, तहसील व जिला–करौली के मिष्ठान भण्डार की दुकान से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	786582–E	15.3	22.7	9.3
2	आईओसीएल	144329–T	15.6	17.5	1.9

इस प्रकार श्री किरोड़ी माली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय 9.3 व 1.9 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी से कोई घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त नहीं किये गये। फर्दजब्ती गलत बनाई है एवं फर्दजब्ती में अप्रार्थी

जिला कलक्टर
करौली

के पिता का नाम गलत अंकित किया है। अप्रार्थी के पिता का नाम रामप्रकाश नहीं है। फर्द जब्ती में विरोधाभाषी अंकन दर्ज है। फर्दजब्ती के अंदर बिना उपयोग के रखा हुआ बताया गया है व व्यावसायिक सिलेण्डर को ही उपयोग करना अंकित है व प्रार्थी द्वारा जमाखोरी का आरोप नहीं है एवं फर्दजब्ती में यह अंकित है कि परिसर में उपलब्ध शून्य सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। यह सिलेण्डरों के विवरण के ऊपर अंकित है एवं गैस ऑर्डर 2000 के प्रावधान 6 माह के लिये थे जो 2018 में प्रभावी नही थे एवं इस प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है व प्रार्थी से कोई भी घरेलू सिलेण्डर जब्त नहीं किये हैं। जब्तशुदा सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है ना ही प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा सिलेण्डरों की सुपुर्दगी ली है व प्रार्थी को जब्तशुदा सिलेण्डरों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नही है। श्रीमान्जी को जांचकर्ता द्वारा रिपोर्ट भी अनुपयुक्त देरी से प्रस्तुत की है जो इस प्रकरण को अविश्वसनीय व सस्पेक्टेड साबित करती है। एवं फर्दजब्ती विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। एवं प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में धारा 6 के अंतर्गत प्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, करौली ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी श्री किरोडी माली के मिष्ठान भण्डार की दुकान से सिलेण्डरों को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी से कोई घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त नहीं किये गये। फर्दजब्ती गलत बनाई है एवं फर्दजब्ती में अप्रार्थी के पिता का नाम गलत अंकित किया है। अप्रार्थी के पिता का नाम रामप्रकाश नहीं है। फर्द जब्ती में विरोधाभाषी अंकन दर्ज है। फर्दजब्ती के अंदर बिना उपयोग के रखा हुआ बताया गया है व व्यावसायिक सिलेण्डर को ही उपयोग करना अंकित है व प्रार्थी द्वारा जमाखोरी का आरोप नहीं है एवं फर्दजब्ती में यह अंकित है कि परिसर में उपलब्ध शून्य सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। यह सिलेण्डरों के विवरण के ऊपर अंकित है एवं गैस ऑर्डर 2000 के प्रावधान 6 माह के लिये थे जो 2018 में प्रभावी नही थे एवं इस प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है व प्रार्थी से कोई भी घरेलू सिलेण्डर जब्त नहीं किये हैं। जब्तशुदा सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है ना ही प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा सिलेण्डरों की सुपुर्दगी ली है व प्रार्थी को जब्तशुदा सिलेण्डरों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नही है। श्रीमान्जी को जांचकर्ता द्वारा रिपोर्ट भी अनुपयुक्त देरी से प्रस्तुत की है जो इस प्रकरण को अविश्वसनीय व सस्पेक्टेड साबित करती है। एवं फर्दजब्ती विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। एवं प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में धारा 6 के अंतर्गत प्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थी की मिष्ठान भण्डार की दुकान से 2 सिलेण्डरों को जब्त किया गया है। फर्दजब्ती पर भी

जिला कलेक्टर
करौली

दुकान मालिक के रूप में अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं जिससे साबित होता है कि सिलेण्डर अप्रार्थी के ही हैं जिन्हें प्रार्थी द्वारा भट्टी से जरिये गैस पाईप लाईन जुड़ा होने पर जब्त किया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा सिलेण्डर को सुपुर्द किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस 9.3 व 1.9 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस 9.3 व 1.9 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डरों की गैस 9.3 व 1.9 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट मय चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर,
करौली